UPSR010006022021

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती**

**पीठासीन अधिकारी–** दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा ) –** UP06538

**सेशन केस नं० 223/2021**

उत्तर प्रदेश सरकार ..................अभियोजन

बनाम

1– राम भवन पुत्र अमरनाथ उर्फ अम्बर लाल वर्मा

2– मालिकराम उर्फ अरविन्द कुमार पुत्र अमरनाथ उर्फ अम्बर लाल वर्मा

3– सुग्रीव पुत्र राम मनोरथ

निवासीगण–तेलहार, थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

......................अभियुक्तगण

अपराध संख्या–78/2018

धारा–302/34, 201 भा0दं0सं0

थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

**निर्णय**

**1.** थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 78/2018, धारा 302, 201 भा0दं0सं0, थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में विवेचनोपरान्त आरोपपत्र अभियुक्तगण राम भवन, मालिकराम उर्फ अरविन्द कुमार एवं सुग्रीव के विरूद्ध विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 207 दं0प्र0सं0 के तहत प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सेशन परीक्षण सं0 223/2021 के रूप में संस्थित हुआ।

**2.** अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा मायावती पत्नी

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.22 16:54:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रंगीले नि0 ग्राम शिव नरायनपुरवा, दा0 हरैय्यातराई, थाना भिनगा, श्रावस्ती ने दिनांक 20.04.2018 को थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती में लिखित प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–2** इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके लड़के राजू की हत्या रामभवन, मालिकराम पुत्रगण अम्बर लाल वर्मा व सुग्रीव पुत्र राम खेलावन निवासीगण तेलहार थाना को0 भिनगा श्रावस्ती ने कर दी है। उसे विश्वास है कि उसके लड़के राजू की हत्या में विपक्षी रामभवन वर्मा के मामा शान्ती प्रसाद वर्मा, अमिरिका प्रसाद वर्मा का भी हाथ है। इस बात का उसे पूर्ण विश्वास है सूचना देने को आयी है। उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। इसके पश्चात् वादिनी मायावती के द्वारा दिनांक 26.02.2018 को कोतवाली भिनगा पर लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि दि0 23.2.2018 को उसका लड़का राजू को रामभवन, मालिकराम पुत्रगण अम्बर लाल वर्मा व सुग्रीव पुत्र राम खेलावन निवासीगण तेलहार थाना को0 भिनगा श्रावस्ती करीब दो माह पूर्व राजू ने राम भवन प्रधान को जमीन का बैनामा किया था। पूरा रूपया नहीं दिया था। रूपये देने के लिए अपने घर बुलाया। उसका घर प्रधान से मिलने उसके घर गया। दि0 24 फरवरी 2018 को उसके लड़के की लाश बल्डीडीह के पास रामराज वर्मा के गेहूॅं के खेत में मृत हालत में मिली थी। विपक्षीगण उसके लड़के की हत्या करके लाश को गेहूॅं के खेत में छिपा दिये थे। रूपया न देना पड़े इसलिए उसके लड़के राजू की हत्या करके लाश छिपा दिये थे जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। सूचना दे रही है। आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

**3.** वादिनी मुकदमा के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर **प्रदर्श क–2** के आधार पर थाना को0 भिनगा , जिला श्रावस्ती पर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–4** मु0 अ0 सं0 78/2018, धारा 302, 201 भा0दं0सं0 दिनांक 26.02.2018 समय 23.20 बजे अभियुक्तगण रामभवन, मालिकराम एवं सुग्रीव के विरूद्ध दर्ज की गयी। जिसका उल्लेख थाना को0 भिनगा पर रपट सं0 43 पर दिनांक 26.02.2018 को समय 23.20 बजे **प्रदर्श क–5** पर किया गया।

**4.** मृतक राजू का शव मिलने पर उप निरीक्षक आशुतोष कुमार उपाध्याय द्वारा पंचायतनामा दिनांक 24.02.2018 को पंचों की उपस्थिति में प्रदर्श क–7 तैयार किया गया तथा पोस्टमार्टम कराये जाने के संबंध में अन्य प्रपत्र प्रदर्श क–8 लगायत प्रदर्श क–11 भी तैयार किये गये। डा0 सिद्धेश कुमार वर्मा द्वारा मृतक के शव का विच्छेदन कर पोस्टमार्टम कर प्रदर्श क–5 के रूप में तैयार की गयी जिसमें उल्लिखित चोटों का वर्णन आगे निर्णय में उल्लिखित किया जायेगा।

**5.** मुकदमें की विवेचना विवेचक/उप निरीक्षक किसलय मिश्रा को सुपुर्द की गयी। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया गया। वादिनी तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण राम भवन, मालिकराम उर्फ अरविन्द कुमार एवं सुग्रीव के विरूद्ध आरोपपत्र धारा 302, 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 18.01.2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा दिनांक 06.04.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सेशन केस संख्या 223/2021 राज्य बनाम राम भवन वर्मा आदि के रूप में दर्ज हुआ।

**6.** अभियुक्तगण राम भवन, मालिकराम उर्फ अरविन्द कुमार एवं सुग्रीव उपस्थित आये। उनके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 10.08.2021 द्वारा धारा 302/34, 201 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मॉग की।

**7.** अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर दिनांकित 26.02.2018 प्रदर्श क–1, दूसरी तहरीर दिनांकित 20.04.2018 प्रदर्श क–2, शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–3, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4, कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–5 को साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क–6, पंचनामा प्रदर्श क–7, प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र प्रदर्श क–8, पुलिस प्रपत्र संख्या 33 प्रदर्श क–9, पुलिस प्रपत्र सं0 13 प्रदर्श क–10, चालान फार्म नं0 379 प्रदर्श क–11, आरोपपत्र प्रदर्श क–12 की औपचारिक सत्यता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है।

**8.** अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू0–1 मायावती (वादिनी मुकदमा), पी०डब्लू0–2 राजाराम, पी०डब्लू०–3 राहुल, पी०डब्लू0–4 विक्रम दुबे, पी०डब्लू0–5 डा० सिद्वेश कुमार वर्मा एवं पी०डब्लू०–6 संजय कुमार मिश्रा को परीक्षित कराया गया है।

**9.** अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत् हैं–

**10.** **अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0 1** वादिनी मुकदमा मायावती ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 7 साल हुआ। उसका लड़का राजू घर से बिना बताये कहीं चला गया था। तीसरे दिन उसके लड़के की

लाश बलदीडीह गाँव में गेहूं के खेत में मिली थी। वहाँ से पुलिस वाले लाश को लेकर भिनगा गये थे। जब उसके लड़के की खोज खबर के बाद नहीं मिला तो उसने पता किया तब जानकारी मिली कि एक लाश बलदीडीह गाँव में मिली है। जाकर देखा तो वह लाश उसके लड़के राजू की थी। लाश को देखकर वह बेहोश हो गयी और उसके लड़के की लाश को लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिये चले गये थे। फिर गाँव वालों ने बताया कि राजू को साथ लेकर राम भवन, मालिकराम और सुग्रीव ले गये थे तब उसे शंका हुयी कि इन्हीं लोगों ने उसके लड़के को मारा होगा जिस कारण शंका के आधार पर इन लोगों का नाम उसने दरख्वास्त देकर लिखा दिया था। उसका कोई रुपया यह लोग बकाया नहीं थे। पहले भी इन लोगों ने कोई धमकी नहीं दिया था। जो दरख्वास्त उसने थाने पर दिया था, वह पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर को साक्षी ने देखा तो बताया कि यही दरख्वास्त उसने थाने पर दिया था जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है जिसे वह प्रमाणित करती है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। बाद में लोगों के कहने पर एक दरख्वास्त थाने में दिया था जो पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–4 जिस पर उसका निशानी अंगूठा व फोटो लगा है जिसे वह प्रमाणित करती है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। घटना के संबंध में दरोगा जी ने उसका बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**11.** अभियोजन **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 2 राजाराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 6 साल पहले की है। उसने रामभवन, सुग्रीव, मालिकराम को राजू के साथ मोटरसाइकिल से ललिया की तरफ जाते हुए देखा था। घटना से पहले मुलजिमानों ने राजू दूबे की जमीन खरीदी थी। उसी सिलसिले में आते जाते थे। यही बात उसने दरोगा जी को बतायी थी। बाकी घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**12.** अभियोजन **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 3 राहुल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना को आज से लगभग छः साल हो गये हैं। उसके भाई राजू पुत्र रंगीले की लाश ग्राम बलदीडीह के पश्चिम तरफ गेहूं के खेत में मिली थी। उसका भाई उसके घर से लाश मिलने के एक दिन पहले बिना बताये घर से चला गया था। उसके भाई लाश मिलने की जानकारी आसपास के लोगों ने दिया था। जब वे लोग मौके पर पहुंचे तब तक पुलिस वाले उसके भाई की लाश को थाने पर ले गये थे। थाने पर

जाकर उन लोगों ने भाई की लाश को देखा था। घटना की रिपोर्ट उसकी मां ने थाने पर लिखाई थी। पुलिस वालों ने उसके भाई की लाश का पंचायतनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था। रामभवन वर्मा काफी दिन पहले उसके भाई से एक जमीन खरीदी थी लेकिन वह जमीन का पैसा भुगतान कर चुके थे। रामभवन वर्मा का अब कोई उसके घर पर आना जाना नहीं था। रामभवन वर्मा, मालिकराम उर्फ अरविन्द कुमार व सुग्रीव उसके भाई को उसके घर से बुलाकर नहीं ले गये थे और न ही उसने अपने भाई को मुल्जिमान के साथ जाते देखा था। पुलिस वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**13.** अभियोजन **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 4 विक्रम दूबे** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना को छः सात वर्ष हो रहे है। वह फेरी लगाकर हेलमेट बेचने का काम करता है। घटना वाले दिन वह हेलमेट बेचने अपनी मोटर साइकिल से बलरामपुर जिले में शिवपुरा गाँव की तरफ गया था। शाम को जब घर लौटा तो पता चला कि उसके गाँव के रहने वाले राजू दूबे की लाश बलदीडीह गाँव के पास खेत में मिली है। पुलिस वालों ने घटना के सम्बन्ध में उसका कोई बयान नहीं लिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**14.** अभियोजन **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 डा० सिद्धेश कुमार वर्मा**, वर्तमान तैनाती चिकित्साधिकारी, CHC मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.02.2018 को वह CHC गिलौला में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था व उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। उस दिन भिनगा थाने के सिपाही देवीलाल साहनी व हेड का० गेंदालाल द्वारा एक सीलबन्द चद्दर में मृतक की लाश राजू दूबे उम्र 30 साल, पुरुष पुत्र रंगीले दूबे निवासी शिवनरायनपुरवा दा० हरैय्या तराई थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को शव विच्छेदन हेतु उसके समक्ष लाए थे। सील खोलने पर मृतक के शरीर पर अकड़न ऊपरी व निचले दोनों भाग पर मौजूद थे। आंखे अधखुली, मुंह बंद, जीभ अंदर थी। नाखून Intact थे, दोनों नासिका छिद्र से खून बह रहा था। मृतक के शरीर पर निम्न चोटे पाई गयीं–

1–Ligature mark horizontal continuous including thyroid, ligature mark is reddish and soft size 31 x 3 cm around neck.

2-Abrasion 6x 1 cm present on front of right thigh, 6 cm from right knee

joint.

3-Swelling with blackish colour present on right jaw joint right ear pinna size 10 x 8 cm.

शव के आन्तरिक परीक्षण में झिल्लियाँ, brain, pleura, lungs, बड़ी रक्त वाहिनी, यकृत, प्लीहा व दोनों गुर्दे congested थे व गर्दन में Ligature mark था, Hyoid bone left side में fracture थी, मृतक की मृत्यु लगभग एक से दो दिन की थी। मृत्यु का तात्कालिक कारण Asphyxia due to anti mortem strangulation था। पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–13 पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है प्रमाणित करता है इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

**15.** अभियोजन **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 6 संजय कुमार मिश्रा**, वर्तमान तैनाती कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी, गोपनीय कार्यालय श्रावस्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 26.02.2018 को वह थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात था। उस दिन वादिनी मुकदमा मायावती खुद का निशानी अँगूठा लगा एक प्रार्थना पत्र लेकर थाना कार्यालय उपस्थित आयी। जिस पर थानाध्यक्ष के मौखिक निर्देश पर उसने मु०अ०सं० 78/2018 धारा–302,201 I.P.C विरूद्ध रामभवन आदि कम्प्यूटरीकृत किया था। जिसकी कायमी भी उसने रपट नं० 43 दिनांक 26.02.2018 समय 23.20 पर कम्प्यूटरीकृत किया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या A3/1 व A3/2 FIR व कागज संख्या A5/2 कायमी जी०डी० को देखकर कहा कि ये दोनों प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किये गये हैं, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–4** व **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

**16.** बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के दस्तावेज नक्शानजरी, पंचायतनामा, प्रार्थनापत्र सी0 एम0 ओ0, प्रपत्र सं0 33, फार्म सं0 13, चालान नाश व आरोपपत्र की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किये जाने का उपरोक्त दस्तावेजों पर क्रमशः प्रदर्श क–6 लगायत क–12 अंकित किये गये।

**17.** अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दर्ज किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया है।

**18.** अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध

समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया।

**19**. अभियुक्तगण के विद्वान अधिक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है और न ही औपचारिक साक्षियों को प्रस्तुत कर अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया है। उक्त अधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

**20.** उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों ने अपने–अपने बयानों में घटना को साबित किया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष नहीं है। छोटे मोटे विरोधाभास होना स्वाभाविक है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

**21.** धारा 354 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस सत्र वाद के निस्तारण के लिए निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु निर्मित किये जाते हैं–

**1**. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है?

**2.** क्या अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य तथा अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34, 201 भा0दं0सं0 का आरोप साबित होता है?

**22.** जहॉ तक प्रस्तुत मामले में प्रथम विचारणीय बिन्दु का प्रश्न है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। तहरीर प्रदर्श क–1, दूसरी तहरीर प्रदर्श क–2, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 के अनुसार घटना दिनांक 24.02.2018 समय अदम तहरीर वहद स्थान रामराज वर्मा के गेहूॅ के खेत, वहद ग्राम बल्डीडीह, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती में घटित हुई है। तथाकथित घटनास्थल से थाना क्षेत्र भिनगा की दूरी 14 किमी0 है। कथित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु वादिनी द्वारा सूचना दिनांक 26.02.2018 को थाने पर दी गयी। इस न्यायालय की राय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में जो देरी है उसका स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही उल्लिखित है। तद्नुसार विचारणीय बिन्दु सं0 1 निस्तारित किया जाता है।

**23.** जहॉ तक विचारणीय बिन्दु सं0 2 का प्रश्न है यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34, 201 भा0दं0सं0 का आरोप साबित होता है? प्रश्नगत मामले में वादिनी मुकदमा पी0 डब्लू0 1 मायावती

ने अपने मुख्य बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है और कथन किया है कि उसने शंका के आधार पर अभियुक्तगण का नाम लिखा दिया था। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में धारा 161 सीआर0 पी0 सी0 में दिये गये बयान से इंकार करते हुए कथन किया है कि उसके सामने मुल्जिमान रामभवन, मालिकराम और सुग्रीव उसके लड़के राजू को लेकर नहीं गये थे और न ही किसी ने उससे बताया था कि इन लोगों के साथ उसका लड़का गया था। उसके लड़के ने किया था लेकिन बैनामे में कोई रूपया बकाया नहीं था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान रामभवन, मालिकराम व सुग्रीव द्वारा उसके लड़के की हत्या करके उसकी लाश छुपा दी थी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि तहरीर लिखने वाले ने पढ़कर सुनाया नहीं था। तहरीर पर केवल उसने निशानी अंगूठा लगाया था। मुल्जिमान से उसकी अथवा उसके लड़के राजू की पहले से कोई रंजिश नहीं थी। पी0 डब्ल्यू0 2 राजाराम ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि रामभवन वर्मा, सुग्रीव व मालिकराम उसके गांव के हैं। यह लोग एक ही घर के हैं। उसका और मुल्जिमान का घर एक ही गांव में है। राजू दूबे का घर शिव नरायनपुरवा, हरैया तराई में था जो उसके गांव से 5–6 किमी0 दूर है। राजू दूबे को उसने कभी राम भवन वर्मा, मालिकराम व सुग्रीव के साथ आते जाते नहीं देखा है। पुलिस वालों ने उसका बयान नहीं लिया था। इस मुकदमें के संबंध में पुलिस वालों ने उसका कोई बयान अंकित किया है तो वह गलत है। इस घटना के पहले या बाद में वह राजू के घर कभी नहीं गया। पी0 डब्ल्यू0 3 राहुल ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि राम भवन वर्मा ने उसके भाई से जमीन का बैनामा कराया था। जब जमीन का बैनामा कराया था तब वह भी मौके पर साथ गया था। बैनामे के समय ही लेनदेन का हिसाब किताब पूरा हो गया था। उसके भाई व राम भवन के बीच कोई लेनदेन बाकी नहीं था। रामभवन वर्मा को उसने अपने घर आते जाते कभी नहीं देखा। राम भवन वर्मा का गांव उसके गांव से लगभग छः किमी0 की दूरी पर है। बल्दीडीह गांव जहॉ उसके भाई की लाश मिली थी वह उसके गॉव के बगल में ही है। उसके भाई का किन–किन लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना रहता था वह नहीं जानता है। गांव के लोगों के बताने व शक के आधार पर उसकी मॉ ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र दिया था। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन राम भवन वर्मा ने उसके भाई को बकाया रूपया देने के लिए बुलाया था इसके बाद उसकी हत्या कर दी। पी0

डब्ल्यू0 4 विक्रम दूबे ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना वाले दिन हेलमेट बेचने जाते हुए समय बल्दीडीह रोड पर दत्तनगर मोड़ पर अभियुक्तगण को नहीं देखा था और न ही अभियुक्तगण व मृतक राजू को रास्ते में कहीं बात करते देखा था। उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण रामभवन, मालिकराम, सुग्रीव तथा मृतक राजू से रूपये का कोई लेन देन चलता था और न ही उसके सामने अभियुक्तगण व मृतक के बीच रूपये के लेन देन को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। मृतक राजू उसके चाचा का लड़का था। उनके परिवार से उसका सम्बन्ध अच्छा है, बोलचाल रहता है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण व राजू को घटना वाले दिन रूपये के लेन देन को लेकर लड़ाई झगड़ा करते देखा था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के दबाव में झूठा बयान दे रहा है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के चारों साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षियों ने राजू दूबे को अभियुक्तगण के साथ अन्तिम बार देखे जाने से भी इंकार किया गया है। इन साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा राजू दूबे की हत्या करने से स्पष्ट इंकार किया गया है। पी0 डब्ल्यू0 5 डा0 सिद्धेश कुमार वर्मा ने शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मृतक की मृत्यु का समय निश्चित रूप से घण्टों में नहीं बता सकता। सम्भावित समय एक से दो दिन की थी। मृतक के आमाशय 150 एम एल तरल पदार्थ पचा हुआ मिला था जो मृतक ने कितनी देर पहले खाया होगा नहीं बताया जा सकता। पी0 डब्ल्यू0 6 संजय कुमार मिश्रा ने अभियोजन प्रपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी0 डी0 को साबित किया गया है।

**24.** प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने मात्र से वह भी तब जब वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन प्रति परीक्षा में न किया गया हो तथा मुख्य परीक्षा के प्रतिकूल साक्ष्य दिया गया हो, अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रश्नगत आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होने, नहीं माने जा सकते हैं।

**25.** उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि तथ्य के अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। मौखिक साक्ष्य

दस्तावेजी साक्ष्य से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅंचती है कि अभियोजन पक्ष अपना केस अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

**(A)** अभियुक्तगण **राम भवन, मालिकराम उर्फ अरविन्द कुमार** एवं **सुग्रीव** को धारा 302/34, 201 भा0दं0सं0 के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त किया जाता है।

**(B)** अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानत प्रपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

**(C)** अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो–दो प्रतिभू निर्णय पारित करने के दस दिवस के अन्दर अपील अवधि तक के लिये प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जो केवल छः माह तक प्रभावी होंगे, तत्पश्चात् प्रतिभूगण स्वयं उन्मोचित माने जायेंगे।

**दिनांक 22.06.2026**

**(दिनेश चन्द)**
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

**दिनांक 22.06.2026**

**(दिनेश चन्द)**
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती